भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 444

(04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

444. श्री पी. वेलुसामीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में विभिन्न श्रेणियों में किए गए काम का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 60 प्रतिशत कार्य, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिशा-निर्देशों के पर्यवेक्षण और परिसंपत्ति निर्माण की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली निगरानी प्रणाली क्या है; और

(ङ) मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि कृषि संबंधी गतिविधि पर 60% न्यूनतम व्यय पर तनाव अन्य कार्य को हतोत्साहित नहीं करे?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम॰ ईएस) में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपलोड की गई सूचना के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एन॰ रईजीएस) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पूर्ण किए गए और चल रहे कार्यों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

तमिलनाडु 2019-20 (29.01.2020 के अनुसार)

कार्य की श्रेणी	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य	वंचित वर्गों के लिए वैयक्तिक परिसंपत्तियां	एन॰ रएलएम का अनुपालन करने वाले स्व-सहायता समूहों के लिए सामान्य	ग्रामीण अवसंरचना

			अवसंरचना	
पूर्ण किए गए कार्यों का प्रतिशत	35.71	24.85	0.38	39.07
चल रहे कार्यों का प्रतिशत	34.07	25.15	0.46	40.31

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा के अनुसूची के पैरा 4 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि "जिला समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत के मामले में एक जिले में शुरू किए जाने वाले कार्यों के लिए कम से कम 60% का उपयोग भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि और कृषि संबद्ध कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन पर किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 31.1.2020 तक) में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों पर व्यय 70.32% है।"

(घ) और (ड.): यह मंत्रालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम ईएस), क्षेत्रों के निगरानी दौरे, केंद्र स्तर पर समीक्षा बैठक, अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक, मध्यावधि समीक्षा बैठकों और परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग दि के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी करता है।